GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE
KOTA (RAJASTHAN)

College Website	:	www.gpck.rajasthan.gov.in
E-mail	:	gpc.kota@gmail.com
Phone	:	0744-2365538
DTE website	:	http:/dte.rajasthan.gov.in
BTER website	:	www.techedu.rajasthan.gov.in

Prepared By
A.P. Bhana, Kapil Solanki, Aarti Bhargava
Under Guidance of
Sh. V.S. Sharma (Principal)

राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय
कोटा (राजस्थान)
GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE
KOTA (RAJASTHAN)

रैगिंग निरोधी उपाय एवं रैगिंग पर प्रतिबन्ध हेतु नियमावली/निर्देशिका

Regulations/Directives for Banning Ragging & Anti Ragging Measures

TOLL-FREE
Anti-Ragging Helpline Number
1800-180-5522

सभी विद्यार्थियों को जारी किये जाने हेतु
To Be Issued To All Students

विद्यार्थियों द्वारा कठोर अनुपालनार्थ
For Strict Compliance By Students

छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त शपथ-पत्र

(दस रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं ....पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती ....निवासी...यह शपथपूर्वक स्वीकार करता/करती हूँ कि–

1. मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा की .... शाखा का/की छात्र/छात्रा हूं।
2. मैं महाविद्यालय के छात्रावास सं..........................में कमरा सं..................... .....मे रह रहा/रही हूं।
3. मैने रैगिंग निरोधी नियमों एवं निर्देशो को प्राप्त किया एवं पूर्ण रूप से पढ़ लिया हैं।
4. मैं शपथपूर्वक स्वीकार करता/करती हूँ।
   - मैं ऐसे किसी भी कार्य को नहीं करूंगा/करूंगी अथवा शामिल होऊंगा/होऊंगी, जो रैगिंग की श्रेणी के अन्तर्गत आता है।
   - मैं रैगिंग के किसी भी रूप में शामिल नहीं होऊंगा/होऊंगी अथवा उसे बढ़ावा नहीं दूंगा/दूंगी।
5. मुझे यह पूर्णतया ज्ञात हो गया है कि यदि मैं रैगिंग के किसी भी रूप में महाविद्यालय परिसर अथवा बाहर शामिल पाया गया/गई तो एंटी रैगिंग नियमों एवं निर्देशानुसार दण्ड का पात्र होऊंगा/होऊंगी एवं महाविद्यालय अथवा कार्यालय पदाधिकारियों से किसी भी मुआवजे का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
6. मैं आश्वस्त करता /करती हूँ कि मैने छात्रावास व महाविद्यालय के नियमों व निर्देशो को पढ़ लिया है और मैं उनका पालन करूंगा/करूंगी।
7. यदि भविष्य में मेरे स्थाई आवास में परिवर्तन होता है तो मैं छात्रावास पदाधिकारी अथवा महाविद्यालय पदाधिकारी को इसकी सूचना तुरन्त दूंगा/दूंगी।

शपथकर्त्ता

सत्यापनः प्रस्तुत शपथ पत्र सत्य एवं सही हैं।

दिनांक.................................. शपथकर्त्ता

स्थानः ....

नाम.. दूरभाष नं.......................

वर्तमान पता...

स्थायी पता...

....

साक्षी

FRESHERS PLEASE PAY ATTENTION

- Freshers should not be hesitable or feel of reporting any incidence of ragging either as a victim or as witness.
- Fresher should move in groups (particularly the hostel freshers). They should be advised that they may resist individually or collectively and attempt by seniors towards bullying or ragging and also immediately report to any of the authority whose contact numbers are made available to them.
- The important contact numbers should be entered and saved in their respective mobile phones.
- Freshers should not stand at lonely places in college/ hostel campus.

कृपया नवआगन्तुक विधार्थी ध्यान दें

- नवागंतुक विद्यार्थी, भुक्तभोगी अथवा साक्षी के रूप में बिना किसी संकोच या हिचकिचाहट के रैगिंग की घटना की रिपोर्ट कर सकते हैं।
- नवागंतुक छात्रों को समूह में रहना वांछित हैं, विशेषतौर पर छात्रावास के नवागंतुक छात्रों को। उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे अपने सीनियर छात्रों द्वारा रैगिंग या रौब जमाने जैसे– प्रयासों की, संबधित अधिकारी को फोन पर तुरन्त सूचना करें।
- सभी मुख्य फोन नम्बर को छात्र अपने मोबाइल में सुरक्षित रखें।
- नव प्रवेशित विधार्थी महाविद्यालय/ छात्रावास परिसर में सुनसान स्थानों पर नहीं रहे।

CONTENTS

S.No.	Particulars	Page No.
1	Aim	1
2	References	1
3	What Constitutes Ragging ?	1
4	Prohibition of Ragging	1
5	Punishments	2
6	Measures for Curbing Ragging	2
7	Monitoring Bodies	3
8	Anti-Ragging Complaint Boxes	3
9	Instructins For Freshers	4
10	Instructions For Hostelers	4
	Appendix-I	5
	Appendix-II	6
	Appendix-III	7

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	लक्ष्य	8
2	संदर्भ	8
3	रैगिंग क्या हैं ?	8
4	रैगिंग निषेध	8
5	दण्ड	9
6	रैगिंग रोकने के उपाय	9
7	निगरानी निकाय	10
8	रैगिंग–निरोधी शिकायत पेटिका	10
9	नवागंतुक विद्यार्थियों हेतु निर्देश	11
10	छात्रावास विद्यार्थियों हेतु निर्देश	11
	परिशिष्ट –I	12
	परिशिष्ट – II	13
	परिशिष्ट – III	14

अभिभावक द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र

(दस रूपय के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं ....

पुत्र/पुत्री ....

निवासी ....

शपथपूर्वक स्वीकार करता/करती हूँ कि :–

(1) मेरा पुत्र/पुत्री ....
राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, कोटा की..
सामान्य/स्ववित्तपोषी योजना का छात्र/छात्रा हूँ।

(2) मैंने रैगिंग प्रतिबन्धित करने हेतु सभी नियमों एवं निर्देशों को पढ़ लिया हैं एवं इन्हें भली भांति समझ लिया हैं।

(3) मैं आश्वस्त करता हूँ कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग सम्बन्धित किसी भी घटना अथवा कार्य में लिप्त पाया गया तो वह रैगिंग की श्रेणी में गिना जाएगा।

(4) मैंने यह भली भांति समझ लिया है कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग की किसी घटना अथवा कार्य में, महाविद्यालय परिसर अथवा उसके बाहर, लिप्त पाया गया तो वह उचित दण्ड का/की भागी होगा/होगी और इसके लिए वह ही पूर्णतः जिम्मेदार होगा/होगी मैं, मेरा पुत्र/पुत्री, महाविद्यालय या किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा किसी भी नुकसान के मुआवजे का दावा नहीं करूंगा।

शपथकर्त्ता

सत्यापन : प्रस्तुत शपथपत्र, सही एंव सत्य हैं।

दिनांक .... शपथकर्त्ता

नाम : .... दूरभाष : ....

वर्तमान पता ....

स्थायी पता : ....

....

साक्षी

विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र

(दस रूपय के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं ....श्री /श्रीमती की पुत्र/पुत्री ....

निवासी ....यह शपथपूर्वक स्वीकार करता/करती हूँ कि :–

(1) मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, कोटा की.. शाखा का/की छात्र/छात्रा हूँ।

(2) मैंने रैगिंग निरोधी नियमों/ निर्देशों को प्राप्त किया एवं पूर्णरूप से पढ़ लिया है।

(3) मैं शपथपूर्वक स्वीकार करता/करती हूँ कि :

- ❖ मैं ऐसे किसी भी कार्य को नहीं करूंगा/करूगी अथवा शामिल होऊंगा/होऊंगी, जो रैगिंग की श्रेणी के अन्तगर्त आता हो।
- ❖ मैं रैगिंग के किसी भी रूप में शामिल नहीं होऊंगा/होऊंगी अथवा उसे बढ़ावा नहीं दूंगा/दूंगी।

(4) मुझे यह पूर्णतया ज्ञात हो गया हैं कि यदि मैं रैगिंग के किसी भी रूप में महाविद्यालय परिसर अथवा बाहर, शामिल पाया गया/गई, तो एंटी रैगिंग के नियमों एवं निर्देशानुसार दण्ड का पात्र होऊंगा/ होऊंगी एवं महाविद्यालय अथवा कार्यालय पदाधिकारियों द्वारा किसी भी मुवावजे का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

शपथकर्त्ता

सत्यापन : प्रस्तुत शपथपत्र, सत्य एंव सही हैं।

दिनांक .... शपथकर्त्ता

नाम : .... दूरभाष : ....

वर्तमान पता ....

स्थायी पता : ....

....

साक्षी

1. Aim:

To root out ragging in all its forms from the college by instituting stringent anti ragging measure and provisions for strict punishments to defaulters.

2. References :

(a) Supreme Court Judgment Order dated 8 May, 2009. Judgment of the Hon'ble Supreme Court is also available on the following website : www.courtnic.nic.in/courtnicsc.asp

(b) DTE Raj., Jodhpur Order No. F.5 (Ragging) dte/E-2/7079 dt. 13.8.2009.

3. What constitutes Ragging?

(a) Any disorderly conduct whether by words spoken or written of by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness any other student.

(b) Indulging in rowdy or undisciplined activities which causes or is likely to cause annoyance, hardship of psychological or physical harm or to raise fear of apprehension thereof in a fresher or any other student.

(c) Asking the students to do any act or perform something which such student will not in the ordinary course and which has the effect of causing or generating a sense of shame or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of a fresher or any other student.

(d) Teasing, embarrassing, humiliating, assaulting or using criminal force or criminal intimidation, wrongful restraining of confining or causing grievous hurt, kidnaping, extortion or molesting or committing unnatural offences or causing death or abetting suicide, use of criminal force, criminal trespass and intimidation.

4. Prohibition of Ragging:

(a) Ragging within the college campus including its Institutions/ departments and hostels or outside the campus is strictly prohibited.

(b) Ragging in any form is prohibited also in the private lodges/building where these college students are staying.

(c) No person including students/staff/ faculty shall participate or abet or propagate ragging in any form.

5. Punishments:

Ragging is a cognizable offence under the law and the punishments are exemplary and justifiably harsh to act as a deterrent. It may include.

(a) Cancellation of admission, suspension, rustication or expulsion from the Institution/ Hostel.

(b) FIR with the police and arrest.

(c) More severe punishment where justified such as fine/imprisonment, etc.

(d) Collective punishment may be imposed where involved persons are not identified.

(e) Withholding Scholarship or other benefits (Writ Petition-Civil No. 656 of 1998 of Supreme Court.

(f) Debarring from representation in test/examination/ extra curricular activities.

(g) Withholding results.

6. Measure for Curbing Ragging:

(a) Before Admissions

(i) Application form and especially the registration form at the time of registration for a session will require two affidavits on Rs. 10.00 stamp paper each, duly notarized, one signed by the student and the other signed by the parents Draft of the affidavits required are given at : -

Appendix I - By the student

Appendix II- By the Parent

(ii) A student will not be admitted/registered until Affidavits mentioned above are submitted.

(iii) Student who are allotted hostel accommodation are

की शिकायत लिखित रूप में डाल सकें। इस तरह एंटी रैगिंग कमेटी / स्क्वाड द्वारा उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

9. नवागंतुक विद्यार्थियों हेतु निर्देश :

(अ) नवागंतुक विद्यार्थी बिना किसी संकोच या हिचकिचाहट के रैगिंग की घटना की रिपोर्ट कर सकते हैं, भुक्तभोगी अथवा साक्षी के रूप में ।

(ब) नवागंतुक के छात्रों को समूह में रहना वांछित हैं, विशेषतौर पर छात्रावास के नवागंतुक छात्रों को। उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे अपने सीनियर छात्रों द्वारा रैगिंग या रौब जमाने जैसे– प्रयासों की, संबधित अधिकारी को फोन पर तुरन्त सूचित करें।

(स) सभी मुख्य फोन नम्बरों को छात्र अपने मोबाइल में सुरक्षित रखें।

(द) नव प्रवेशित विधार्थी महाविद्यालय परिसर में सुनसान स्थानों पर अकेले नहीं रहे।

10. छात्रावास के विद्यार्थियों हेतु अनुदेश :

(अ) सभी नए विद्यार्थियों को रात्रि नौ बजे से पूर्व अपने छात्रावास में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

(ब) सभी सीनियर विद्यार्थियों को रात्रि दस बजे से पूर्व अपने छात्रावास में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

(स) सभी छात्रावास के विद्यार्थियों को छात्रावास के नियमों के अलावा रैगिंग निरोधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(द) सभी स्थानीय विद्यार्थियों को शाम छः बजे तक परिसर छोड़ना वांछित है। इसके उपरान्त एवं अवकाश के दिन उनका आना/जाना प्रतिबंधित होगा जब तक कि उसे संस्था के प्रधान द्वारा विशेष आज्ञा प्राप्त न हो। यदि कोई स्थानीय विद्यार्थी रात्रि छः बजे के पश्चात् एवं अवकाश के दिन परिसर में, बिना किसी उचित आज्ञानुसार नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(इ) छात्रावास में प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को छात्रावास में प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ एक अन्य शपथ–पत्र (परिशिष्ठ–III) प्रस्तुत करना होगा कि उसे संबंधित कानून की जानकारी है।

(ii) उपरोक्त शपथपत्र के अभाव मे विद्यार्थी प्रवेश एवं पंजीयन संभव नहीं होगा।

(iii) जिन विद्यार्थीयों को छात्रावास में कक्ष आवंटित किए गए है ऐसे विद्यार्थी तीन प्रतियों मे अपने माता–पिता एवं स्थानीय अभिभावको से संबंधित फॉर्म जैसा कि **परिशिष्ठ–III** में दर्शाया गया है मय तीन छायाचित्रों के साथ संलग्न करें।

उपरोक्त प्रपत्र के अभाव मे विद्यार्थी का पंजीकरण अथवा छात्रावास कक्ष आवंटन न हो सकेगा।

(ब) **प्रवेश एवं पंजीकरण के समय** :

प्रत्येक विधार्थी पंजीकरण के समय इस हैण्डबुक की हस्ताक्षरित प्राप्ति देगा।

7. विभिन्न निगरानी निकायः

(अ) **रैगिंग निरोधी निगरानी प्रकोष्ठ** : संयुक्त निदेशक एवं सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर, की अध्यक्षता में इस प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

(ब) **रैगिंग निरोधी समिति** : यह समिति रैगिंग की कोई घटना न हो और इन नियमो एवं निर्देशो की पालना सुनिश्चित करने के प्रति पूर्णरूप से उत्तरदायी हैं। इस समिति के अध्यक्ष प्रधानाचार्य हैं।

(स) **रैगिंग निरोधी उड़नदस्ते** : संस्था मे रैगिंग की रोकथाम हेतु उड़नदस्तो का गठन हैं। विद्यार्थी रैगिंग की घटनाओ की सूचना इन दस्तो को दे सकते हैं।

(द) **मार्ग–दर्शक प्रकोष्ठ** : संस्था मे वरिष्ठ विद्यार्थीयों का एक मार्ग–दर्शक प्रकोष्ठ है। इस प्रकोष्ठ का उद्देश्य इन नियमो एवं दिशा निर्देशो की संस्था में अनुपालना करवाना हैं।

नोट : उपर्युक्त निगरानी निकायों का सम्पूर्ण विवरण कार्यालय आदेश मे उपलब्ध है।

8. रैगिंग निरोधी शिकायत पेटिकाः–

संस्था एवं छात्रावास में चयनित स्थलों पर रैगिंग निरोधी शिकायत पेटिका रखी गई है ताकि छात्र/छात्रा अपने साथ हुए किसी भी रैगिंग

required to submit three copies of details of parents and local guardian along with their photographs on the form as at **Appendix-III**. Students will not be registered and assigned hostel seat until the above document is submitted at the time of registration for the hostel.

(b) On Admission & Registration :

Every student at the time of registration will sign having received this handbook.

7. Various Monitoring Bodies :

(a) **Anti-ragging monitoring cell :** There is an anti-ragging monitoring cell headed by the joint director & secretary, board of Technical Education Raj. Jodhpur.

(b) **Anti-ragging committee :** It is totally responsible to ensure that no incidence of ragging as given in these regulation takes place. It also monitor and ensure that the instructions of these regulations are followed. It is headed by the Principal.

(c) **Anti-ragging flying squads :** Flying squads have been formed to prevent ragging. The student may report any ragging incidence to flying squad.

(d) **Mentoring cell :** A mentoring cell comprising of senior students is operational in the institution. The function of cell is to promote the objectives of anti-ragging regulations.

Note : Complete details of the above monitoring bodies is available in the office order (s).

8. Anti-Ragging complaint Box :

Anti-Ragging Complaint Boxes are placed in selected areas in the Institution and in the Hostel for students who may drop in their complaints of any incidence of ragging which has not otherwise been reported for necessary action by the Anti-Ragging Committee/Squads.

9. Instructions for fresher :

(a) Freshers should not be hesitable or feel of reporting any incidence of ragging either as a victim or as witness.

(b) Fresher should move in groups (particularly the hostel freshers). They should be advised that they may resist individually or collectively and attempt by seniors towards bullying or ragging and also immediately report to any of the authority whose contact numbers are made available to them.

(c) The important contact numbers should be entered and saved in their respective mobile phones.

(d) Freshers should not stand at lonely places in college campus.

10. Instructions for Hostelers :

(a) All fresher students will report back in their respective hostel rooms latest by 09:00 PM.

(b) All senior hostel students will be in their respective hostel latest by 10:00 PM.

(c) All hostel students will abide by the hostel rules in addition to the Anti-Ragging Regulations.

(d) All Day Scholars are required to leave the Campus latest by 6:00 PM. Entry/presence of Day Scholars in the Campus will bot be permitted beyond 6:00 PM and on holidays unless specifically allowed under the authority to the respective Head of Institution. Strict disciplinary action will be taken if a day scholar is seen in the campus after 6:00 PM and on holiday without having permission from proper authority.

(e) A student seeking admission to the hostel shall have to submit another affidavit (appendix-III) alongwith his/her application for hostel accomodation that he/she is also aware of the law.

4. रैगिंग निषेधः

(अ) महाविद्यालय परिसर एवं उसकी संस्थाऐं, विभाग एवं छात्रावास तथा परिसर के बाहर भी रैगिंग का कठोरतापूर्वक निषेध हैं।

(ब) रैगिंग किसी भी रूप मे निषेध है उन निजी आवासो अथवा भवनों मे जहां महाविद्यालय के विद्यार्थी रहते हैं।

(स) कोई भी व्यक्ति चाहे विद्यार्थी/स्टाफ/शिक्षक को रैगिंग मे किसी भी रूप मे भाग लेने, उकसाने अथवा बढ़ावा देने जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए।

5. दण्डः

रैगिंग कानूनन एक संगीन अपराध है इसके अधीन दिये गये दण्ड न्यायिक रूप से कठोर हैं एवं दूसरो के लिए एक सबक एवं दृष्टांत है इसके तहत होने वाली कार्रवाईः–

(1) प्रवेश का निरस्तीकरण, निलंबन अथवा महाविद्यालय / संस्था/ छात्रावास से निष्कासन।

(2) पुलिस मे प्रथम सूचना रिर्पोट (एफ.आई.आर.) एवं गिरफ्तारी।

(3) जहाँ न्याय संगत हो वहाँ अत्यन्त कठोर सजा जैसे अर्थ दण्ड/ कारावास आदि।

(4) सामूहिक सजा का प्रावधान जहाँ आरोपी व्यक्तियों की पहचान न हो सके।

(5) छात्रवृत्ति अथवा अन्य लाभ पर प्रतिबन्ध (उच्चतम न्यायालय मे दायर सिविल रिट याचिका सं. 656/1998)।

(6) टेस्ट, परीक्षा या पाठ्यत्तर आदि गतिविधियो मे भाग लेने हेतु अयोग्य घोषित करना।

(7) परीक्षा परिणामो पर प्रतिबन्ध लगाना।

6. रैगिंग रोकने के उपायः

(अ) **प्रवेश से पूर्वः**

(i) प्रत्येक विद्यार्थी एवं अभिभावक प्रवेश प्रार्थना पत्र, पंजीकरण फॉर्म जमा करते समय दस–दस रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र (नोटेरी द्वारा प्रमाणित) संलग्न करेंगे। वांछित शपथपत्र निम्नानुसार है।

परिशिष्ठ– I : विद्यार्थी द्वारा

परिशिष्ठ – II : अभिभावक द्वारा

1. लक्ष्यः

सख्त नियमो को लागू करते हुए आरोपियों हेतु सख्त सजा का प्रावधान कर रैगिंग के सभी रूपो कों महाविद्यालय से समूल नष्ट करना ।

2. संदर्भः

(अ) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय आदेश दिनांक 8 मई 2009। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्णय निम्न वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

www.courtnic.nic.in/courtnicsc.asp

(ब) प्राविधक शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर आदेश क्र.एफ. 5 (Ragging) प्राशिनि ई–2/7079 दिनांक 13–8–2009.

3. रैगिंग क्या है?

(अ) कोई भी दुर्व्यवहार चाहे मौखिक या लिखित अथवा कोई ऐसा कृत्य जिसमें विद्यार्थी को परेशान करने अथवा चिढ़ाने और बेरूखी से पेश आना।

(ब) किसी भी अनुशासनहीनता अथवा रौब जमाने का कृत्य जिसमें किसी भी विद्यार्थी को डराना, शारीरिक अथवा मानसिक प्रताड़ना देना या अन्य किसी तरीके से भयभीत करना।

(स) किसी भी विद्यार्थी से ऐसा कृत्य करवाना जो सामान्यतया वो न करता हो या जिसमे उसे संकोच अथवा शर्मिंदगी का अहसास हो ओर जिसका उसके दिलोदिमाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ें।

(द) चिढ़ाना, बेइज्जत करना, शर्मिंदगी का अहसास कराना, हमला करना अथवा आपराधिक तरीके की जोर जबरदस्ती, डराना अथवा धमकाना, गलत तरीके के प्रतिबन्ध लगाना, नुकसान पहुंचाने हेतु बन्द कर देना, अपहरण, आर्थिक शोषण, छेड़ना, अप्राकृतिक अपराध अथवा जान से मारना अथवा आत्महत्या के लिए उकसाना, एवं अमर्यादित व्यवहार।

AFFIDAVIT BY THE STUDENT

(On Rs. 10/- Non Judicial Stamp Peper)

I, ____________________

S/o/D/o of Mr./Mrs. ____________________

Resident of ____________________

Do hereby solemnly affirm and declare as under :

1. That I am student of Govt. Polytechnic College, Kota in its ____________________ Branch Regular/ Self finance Scheme.
2. That I have received and gone through and understood the Regulations / Directives for Banning Ragging and Anti- Ragging Measures.
3. I hereby solemnly affirm that
   - I will not indulge or involve myself in any behavior or act that may come under the definition of ragging.
   - I will not participate in or abet or propagate ragging in any form.
   - I will not hurt anyone physically or psychologically or cause any other harm.
4. I have fully understood that if found indulging or guilty of any aspect of ragging within or outside the College campus, I may be punished as per the Rules and Regulations of Anti-Ragging for which I will be Solely responsible and shall not claim any compensation whatsoever from the College or its office bearers.

Deponent

VERIFICATION : Verified at ....on this.................... day of.., that the above affidavit is true and correct.

Deponent

Name : ____________________

Present Address & Contact No. : ____________________

____

Permanent Address : ____________________

____

Witness :

AFFIDAVIT BY THE PARENT / GUARDIAN

(On Rs. 10/- Non Judicial Stamp Paper)

I, ____

S/o/D/o of Mr./Mrs. ________________________________

Resident of _____________________________________

Do hereby solemnly affirm and declare as under :

1. That my son/daughter Mr./Mrs. ....is a student of Govt. Polytechnic College, Kota in its __________ Branch Regular/ Self finance Scheme.
2. That I have gone through and fully understood the regulations/ directives for Banning Ragging and Anti- Ragging Measures.
3. I assure you that my son/daughter will not be involved or indulge in any act of ragging that may come under the definition of ragging.
4. I have fully understood that in case my son/daughter will be found indulging or involved in ragging within or outside the premises of the College, he/she shall be appropriately punished for which he/she shall be solely responsible. I or my son/daughter shall not hold liable the College or any of its officials for any loss (s), damage (s) and shall not claim any compensation from the College or its office bearers.

Deponent

VERIFICATION : Verified at ....on this.............................

day of .... that the above affidavit is true and correct.

Deponent

Name : ____

Present Address & Contact No. : ___________________________

____

Permanent Address : _________________________________

____

Witness :

AFFIDAVIT BY THE HOSTELER

(On Rs. 10/- Non Judicial Stamp Paper)

I, ____

S/o/D/o of Mr./Mrs. ________________________________

Resident of _____________________________________

Do hereby solemnly affirm and declare as under :

1. That I am a student of Govt. Polytechnic College, Kota in its ________________________ Branch Regular/ Self finance Scheme.
2. That I am staying in room no. ....of college hostel No. ....
3. That I have received and gone through and understood the Regulations / Directives for Banning Ragging and Anti- Ragging Measures.
4. I hereby solemnly affirm that
   - ❖ I will not indulge or involve myself in any behavior or act that may come under the definition of ragging.
   - ❖ I will not participate in or abet or propagate ragging in any form.
   - ❖ I will not hurt anyone physically or psychologically or cause any other harm.
5. I have fully understood that if found indulging or guilty of any aspect of ragging within or outside the College campus, I may be punished as per the Rules and Regulations of Anti-Ragging for which I will be Solely responsible and shall not claim any compensation whatsoever from the College or its office bearers.
6. I hereby affirm that i have read and understood the hostel and college rules & regulations and I will abide by them.
7. I will inform the hostel administration, college authority if there is any change in the residentional/contact status as given in this affidavit.

Deponent

VERIFICATION : Verified at ....on this.................... day of..., that the above affidavit is true and correct.

Deponent

Name : ____

Present Address & Contact No. : ___________________________

____

Permanent Address : _________________________________

____

Witness :

Aim of
EDUCATION

"The aim of education is not the acquisition of information, although important or acquisition of technical skills, though essential in modern society, but the development of that bend of mind, that attitude of reason, that spirit of democracy which will make us responsible citizens."

Dr. Sarvapalli Radhakrishanan

अनमोल सन्देश

1. गुरू गोविन्द दोउ खड़े, काके लागूँ पाँय।
   बलिहारी गुरूदेव आपकी, गोविन्द दियो बताय ।।
2. यह तन विष की बेलरी, गुरू अमृत की खान ।
   शीश दिये गुरू मिले, तो भी सस्ता जान ।।
3. गगन मंडल में ऊंधा कुआ, तहाँ अमृत का वासा
   सगुरा होई सो भरि–भरि पीवै, निगुरा जाये प्यासा।।
4. तीन लोक नौ खण्ड में, गुरू से बड़ा न कोय।
   करता करे ना करि सके, गुरू करे सो होय।।
5. गुरू गोविन्द दोउ एक है, दुजा सब आकार।
   आपा मेटै हरि भजे, तब पावे करतार।।

महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि

1. सदैव सत्य बोलें एवं सत्य की शक्ति को समझे।
2. आप अपने महाविद्यालय को स्वच्छ एवं हरा भरा रखें।
3. एक दूसरे से सद्व्यवहार करें एवं अनुशासन बनाएं रखें।
4. नवीनतम तकनीकी शिक्षा के माध्यम से महाविद्यालय के नाम को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करें।
5. सिद्वयोग ध्यान के माध्यम से अपने शरीर में विद्यमान सकारात्मक शक्तियों को विकसित करें।
6. अपने गुरू में विश्वास बनाए रखें।